HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर   दिनांक 18.03.2023

प्रभावी पैरवी कर गैंगेस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह के कारावास व 8,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 22.01.2021 को थाना राठ, जनपद-हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 34/21 अन्तर्गत धारा-3(1) GST Act में नामजद अभियुक्त सलमान उर्फ हबीब पुत्र निमाज मुहम्मद निवासी पटनऊ कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष 01 माह के कारावास व 8,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक नि0 पंधारी सरोज, एडीसीजी सुशील कुमार त्रिपाठी व पैरोकार राठ का सराहनीय योगदान रहा है।